



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT KARAMCHARI TRUST

Shed No. 11, Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur

e-mail - sect.cpf.trust@rvpn.co.in, dy.coa.pf@rvpn.co.in

No. RVPN/Secy. (CPF)/Control/D.

526

Jaipur Dated: 16-06-20


वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी
राराविप्रनिलि / जविविनिलि / अविविनिलि /
जोविविनिलि / राविउनिलि

विषय:- विभिन्न वृत्त कार्यालयों में ठेका कर्मियों के सी.पी.एफ. राशि की कटौती एवं प्रविष्टियों के सम्बन्ध में निर्देश।

समस्त विद्युत निगमों के प्रशासनिक कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कर्मियों के वेतन बिल से सी.पी.एफ. की कटौती के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. सी.पी.एफ. सदस्यों की ई.पी.एस. (पेंशन निधि) खाता संख्या पे-स्लिप में अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. वृत्त लेखाधिकारी सुनिश्चित करें कि ई.पी.एस. 1995 के पैरा 19 की अनुपालना में पेंशन निधि अंशदान कार्ड फॉर्म-7 (पी.एस.) निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में तैयार कर समस्त कर्मचारियों को उपलब्ध करवायें।
3. ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले ठेकाकर्मियों की सी.पी.एफ. राशि समस्त विद्युत निगमों के लेखाधिकारियों द्वारा नियमानुसार काटकर राजस्थान राज्य विद्युत कर्मचारी सी.पी.एफ. ट्रस्ट में प्रत्येक माह नियमित रूप से जमा कराई जावे। इस राशि को प्रत्येक माह नियमित रूप से जमा नहीं कराना और अपने स्तर पर रोके रखना नियम विरुद्ध है। यदि पूर्व की कोई राशि जमा नहीं कराई गई है तो 30 जून 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करा दी जावे एवं यह प्रमाण पत्र जुलाई 2020 तक इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे कि पूर्व की कोई राशि जमा कराया जाना शेष नहीं है।
4. संबंधित लेखाधिकारी ठेका-कर्मियों के वेतन से की गई सी.पी.एफ. की कटौती की राशि का वार्षिक विवरण (ब्रॉडशीट) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 60 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- फॉर्म-7 (पी.एस.)


सचिव (सी.पी.एफ. ट्रस्ट)
राराविप्रनिलि, जयपुर

(छूट प्राप्त स्थापनों के लिए)

(For Exempted Establishments only)

फार्म सं. 7 (पी.एस.)

Form No. 7 (P.S.)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (पैराग्राफ 19)

THE EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995 (Paragraph 19)

वर्ष 200.....200.....के लिये सदस्यों का अंशदान का कार्ड

Contribution card for members for the year 200 --200

1. खाता संख्या A/c No. RJ/.....
2. नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....
Name (in block Capitals).....
3. पिता/पति का नाम.....
Father's/Husband's name.....
4. संस्थान का नाम एवं पता.....
Name & Address of Establishment.....
5. अंशदान का सैधुधानिक दर 8.33%.....
Statutory rate of contribution 8.33%.....

माह Month	वेतन जिसमें प्रतिधारण भत्ता यदि कोई हो एवं भंडगाई भत्ता जिसमें भोजन रियायत का नकद मूल्य शामिल है की राशि Amount of wages, retaining allowance if any & DA including cash value of food concession paid during the month	पेंशन निधि में 8.33% की दर से अंशदान रूपये Contribution to Pension Fund 8.33%	गैर अंशदायी सेवा की अवधि (दिनों की संख्या लिखें, जिसके लिये अंशदान देय नहीं है। Non Contributory Period (NCP) Days for which Contr. is not payable	अभ्युक्तिया Remarks
1	2	3	4	5
अप्रैल 200 April 200				
मई May				(क) सेवा छोड़ने की तिथि (a) Date of leaving service.....
जून June				
जुलाई July				(ख) सेवा छोड़ने की कारण (b) Reason for leaving service.....
अगस्त August				
सितम्बर Sept.				
अक्टूबर Oct.				
नवम्बर Nov.				(ग) 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख..... (अंशदान रोकने के लिए)
दिसम्बर Dec.				(c) Date of getting superannuation age of 58 Years..... (To stop payment of contributors)
जनवरी Jan.				
फरवरी Feb.				
मार्च March				
योग Total				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में कालम सं. 3 में अंशदान के जोड़ एवं निर्धारित कालम सं. 2 में दर्शाये गए वेतन के जोड़ पर निर्धारित दर से अंशदान में अन्तर नियमानुकूल निकटतम रूपयों के पूर्णांक करने पर हुआ है।

Certificated that the difference between the total of contribution shown under Col. (3) of the above table and that arrived at the total wages shown in Col.(2) at the prescribed rate is solely due to the rounding off of contribution to the nearest Re. under the rules.

प्रमाणित किया जाता है कि कालम सं. 3 में दर्शाये गए अंशदान की कुल राशि को खाता सं. 10 (पेंशन निधि अंशदान) में अदा किया जा चुका है।

Certified that the total amount of contributions indicated under Col. (3) has already been remitted in full in Account No. 10 (pension Fund contribution).

दिनांक/Dated

नियोक्ता के हस्ताक्षर (कार्यालय मोहर)/Signature of Employer (Official Seal)

स कार्यालय को भित्तवाना प्रमाणित करने के लिये 60 दिवस में